


22-9-2023

पत्रावली पेशा हुई। पार्थी के वकील उपस्थित।
 अपार्थी सं. 2 (दो) के वकील उपस्थित।
 पार्थी के वकील ने पार्थी द्वारा इस दिग्वानी
 आवेदन को आगे चलाना नहीं चाहने से
 Not Press किया है। अतः हस्तगत दिग्वानी
 आवेदन पार्थी अंतर्गत धारा 97 राजस्व
 पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अपार्थी गण
 जिरने Not Press खारिज किया जाता है।
 पत्रावली इसी मुताबिक निर्दिष्ट हेकर संख्या
 से कम होकर दायित्व दफतर हो।



अति. जिला कलक्टर
 सिराही (राज.)

~~Not Press~~
 Not Press
 ठामा चालता
 है।

 22/9/23

